

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 407 सन 2018

अनवान :-

1. जयवीरसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्रीचन्द पुत्र केवलराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भूपसिंह पुत्र केवलराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. कमला 4 इमरता 5 सरला पुत्रीया श्रीचन्द जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 12/2/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक शिवपुरा के खाता संख्या 161/134 के प0न0 312/378(30) के किला न0 12/1 की 0.127 ,19 ,22 ,23/0.759 ,प0न0 312/379(45) के किला न0 11/1 की 0.228 ,12 ,13/0.506 ,18 ,19/0.506 , किला न0 20/1 की 0.227 ,21/1 की 0.228 ,22 ता 24/0.759 , प0न0 311/379(46) किला न 15 ,6 ,25/0.759 है व प0न0 311/380(48) किला न0 5/0.228 ,प0न0 312/380(49) किला न0 1/2 की 0.202 ,2 ता 4/0.684 ,7 ता 9/0.759 ,10/1 की 0.228 ,मु0न0 106/17 की 0.126 , कुल 6.326 है व खाता संख्या 312/379(45) किला न0 1/2 की 0.025 ,10/2 की 0.025 ,11/2 की 0.025 , 20/2 की 0.026 , 21/2 की 0.02 ,प0न0 312/380(49) के किला न0 1/2 की 0.026 ,10/2 की 0.025 कुल 0.177 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा केवल वल्द नोपा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा केवल वल्द नोपा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा केवल वल्द नोपा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।



312/380(49) किला न० 1/2 की 0.202 ,2 ता 4/0.684 ,7 ता 9/0.759 ,10/1 की 0.228 ,मु०न० 106/17 की 0.126 , कुल 6.326 है व खाता संख्या 312/379(45) किला न० 1/2 की 0.025 ,10/2 की 0.025 ,11/2 की 0.025 , 20/2 की 0.026 , 21/2 की 0.02 ,प०न० 312/380(49) के किला न० 1/2 की 0.026 ,10/2 की 0.025कुल 0.177है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्य 1 के नाम से दर्ज है


पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि केवला वल्द नोपा के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा केवला वल्द नोपा के नाम से दर्ज है वादी के दादा केवला वल्द नोपा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,3 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,3 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक शिवपुरा के खाता संख्या 161/134 के प०न० 312/378(30) के किला न० 12/1 की 0.127 ,19 ,22 ,23/0.759 ,प०न० 312/379(45) के किला न० 11/1 की 0.228 ,12 ,13/0.506 ,18 ,19/0.506 , किला न० 20/1 की 0.227 ,21/1 की 0.228 ,22 ता 24/0.759 , प०न० 311/379(46) किला न 15 ,6 ,25/0.759है व प०न० 311/380(48) किला न० 5/0.228 ,प०न० 312/380(49) किला न० 1/2 की 0.202 ,2 ता 4/0.684 ,7 ता 9/0.759 ,10/1 की 0.228 ,मु०न० 106/17 की 0.126 , कुल 6.326 है व खाता संख्या 312/379(45) किला न० 1/2 की 0.025 ,10/2 की 0.025 ,11/2 की 0.025 , 20/2 की 0.026 , 21/2 की 0.02 ,प०न० 312/380(49) के किला न० 1/2 की 0.026 ,10/2 की 0.025कुल 0.177है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्य 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :-

- 1 जयवीरसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 श्रीचन्द पुत्र केवलराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भूपसिंह पुत्र केवलराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. कमला 4 इमरता 5 सरला पुत्रीया श्रीचन्द जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 407 सन 2019 निर्णय दिनांक- 12/12/2020**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक शिवपुरा के खाता संख्या 161/134 के प0न0 312/378(30) के किला न0 12/1 की 0.127 ,19 ,22 ,23/0.759 ,प0न0 312/379(45) के किला न0 11/1 की 0.228 ,12 ,13/0.506 ,18 ,19/0.506 , किला न0 20/1 की 0.227 ,21/1 की 0.228 ,22 ता 24/0.759 , प0न0 311/379(46) किला न 15 ,6 ,25/0.759 हैव प0न0 311/380(48) किला न0 5/0.228 ,प0न0 312/380(49) किला न0 1/2 की 0.202 ,2 ता 4/0.684 ,7 ता 9/0.759 ,10/1 की 0.228 ,मु0न0 106/17 की 0.126 , कुल 6.326 हैव व खाता संख्या 312/379(45) किला न0 1/2 की 0.025 ,10/2 की 0.025 ,11/2 की 0.025 , 20/2 की 0.026 , 21/2 की 0.02 ,प0न0 312/380(49) के किला न0 1/2 की 0.026 ,10/2 की 0.025 कुल 0.177 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्य 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तार तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )